माओ त्सेतुङ

दस मुख्य सम्बन्धों के बारे में

माओ त्सेतुङ

दस मुख्य सम्बन्धों के बारे में

प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन्स
दिल्ली

यह रचना प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित माओ त्सेतुङ की संकलित रचनाएं, ग्रन्थ 5 से ली गयी है।

1 मई 2001

मूल्य : 4 रुपए

प्रकाशक :
प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन्स
यू-96, गुरुद्वारा लेन,
शकरपुर,
दिल्ली-110092

मुद्रक : आर. के. आफसेट, दिल्ली-110032

प्रिय पाठकों !
इस पुस्तक के अनुवाद, डिजाइन, छपाई और मूल्य के सन्दर्भ में अपनी आलोचना व सुझाव भेजकर हमारे प्रयास में सुधार करने में सहयोग करें। मुद्रित मूल्य के अतिरिक्त या स्टीकर लगे मूल्य पर भुगतान न करें। कृपया हमें ऐसी स्थिति की सूचना दें।
प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन्स

दस मुख्य सम्बन्धों के बारे में

25 अप्रैल 1956

हाल के कुछ महीनों में, केन्द्रीय कमेटी के राजनीतिक ब्यूरो ने केन्द्रीय प्राधिकरणों के अन्तर्गत काम करने वाले चौंतीस विभागों के काम के बारे में, जिनमें उद्योग, कृषि, परिवहन, वाणिज्य, वित्त तथा अन्य विभाग शामिल हैं, रिपोर्टें सुनी हैं और इन रिपोर्टों

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के राजनीतिक ब्यूरो के विस्तृत अधिवेशन में भाषण। सोवियत संघ के अनुभवों से हासिल होने वाले सबक को ध्यान में रखते हुए इस भाषण में कामरेड माओ त्सेतुङ ने चीन के अनुभवों का निचोड़ निकाला, समाजवादी क्रान्ति व समाजवादी निर्माण के बारे में दस मुख्य सम्बन्धों की चर्चा की तथा ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छे और कम से कम खर्च में समाजवाद का निर्माण करने की आम कार्यदिशा में, एक ऐसी कार्यदिशा में जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल है, समाविष्ट बुनियादी विचारों का प्रतिपादन किया।

के आधार पर समाजवादी निर्माण और समाजवादी रूपान्तर के कार्य से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का पता लगा लिया है। ये समस्याएं कुल मिलाकर दस समस्याओं के रूप में या दस मुख्य सम्बन्धों के रूप में सामने आती हैं।

इन दस समस्याओं को एक बुनियादी नीति पर, अन्दरूनी और बाहरी सभी प्रकार के सकारात्मक तत्त्वों को गोलबन्द करने की बुनियादी नीति पर, ध्यान केन्द्रित करने के लिए ही उठाया जा रहा है, ताकि समाजवाद के कार्य की सेवा की जा सके। अतीत काल में, साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और नौकरशाह-पूंजीवाद के शासन को समाप्त करने के लिए और जनता की जनवादी क्रान्ति में विजय प्राप्त करने के लिए हमने सभी सकारात्मक तत्त्वों को गोलबन्द करने की इसी नीति का अनुसरण किया था। और अब हम समाजवादी क्रान्ति को चलाने के लिए तथा एक समाजवादी देश का निर्माण करने के लिए इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। फिर भी, हमारे काम से सम्बन्धित कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जिनके बारे में विचार विमर्श करना जरूरी है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि हाल ही में सोवियत संघ में

कुछ ऐसी खामियां और गलतियां प्रकाश में आई हैं जो उस देश में समाजवाद का निर्माण करने के दौरान की गई थीं। क्या आप लोग भी उन्हीं चक्करदार रास्तों पर चलना चाहते हैं जिन पर वे लोग चले हैं ? उनके अनुभवों से सबक सीखकर ही हम अतीत काल में कुछ चक्करदार रास्तों से बच सके थे, और आज ऐसा करना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।

आखिर अन्दरूनी और बाहरी सकारात्मक तत्त्व कौन-कौन से हैं ? अन्दरूनी तौर पर, मजदूर और किसान हमारी बुनियादी शक्ति हैं। मध्यवर्ती शक्तियां इस प्रकार की शक्तियां हैं जिन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है। प्रतिक्रियावादी शक्तियां एक नकारात्मक तत्त्व हैं, तो भी हमें अपना काम अच्छी तरह करना चाहिए और जहां तक सम्भव हो इस नकारात्मक तत्त्व को एक सकारात्मक तत्त्व में बदल देना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, उन तमाम शक्तियों के साथ एकता कायम की जानी चाहिए जिनके साथ एकता कायम की जा सकती है, जो शक्तियां तटस्थ नहीं हैं उन्हें अपने प्रयत्नों द्वारा तटस्थ बनाया जा सकता है, यहां तक कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भी विभाजित किया जा सकता है और उनका भी इस्तेमाल किया जा

सकता है। संक्षेप में, हमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, सभी प्रकार की शक्तियों को गोलबन्द करना चाहिए और चीन को एक शक्तिशाली समाजवादी देश बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

अब मैं इन दस समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा।

1. एक पक्ष में भारी उद्योग और दूसरे पक्ष में हल्के उद्योग व कृषि के बीच के सम्बन्ध

हमारे देश के निर्माण में भारी उद्योग पर जोर दिया जाता है। उत्पादन के साधनों के निर्माण के काम को प्राथमिकता देनी जरूरी है, यह बात बिलकुल तय है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि जीवन-निर्वाह के साधनों, विशेष रूप से अनाज के उत्पादन की उपेक्षा की जा सकती है। पर्याप्त खाद्य-पदार्थों और दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं के बिना पहली बात तो यह है कि मजदूरों का भरण-पोषण करना सम्भव न होगा, और ऐसी स्थिति में भारी उद्योग के विकास की बात करने का भला क्या अर्थ रह जाता है ? इसलिए, एक पक्ष में भारी उद्योग और दूसरे पक्ष में हल्के उद्योग व कृषि के बीच के सम्बन्धों के मसले

को उचित ढंग से निपटाया जाना जरूरी है।

इस मसले को निपटाने में हमने उसूल सम्बन्धी गलतियां नहीं की हैं। इस क्षेत्र में हमारा काम सोवियत संघ और पूर्वी योरप के अनेक देशों की तुलना में बेहतर ही रहा है। अक्तूबर क्रान्ति से पहले के अनाज-उत्पादन के उच्चतम स्तर तक न पहुंच पाने की सोवियत संघ की दीर्घकालीन असफलता, पूर्वी योरप के कुछ देशों में भारी उद्योग के विकास और हल्के उद्योग के विकास के बीच भारी असन्तुलन से उत्पन्न गम्भीर समस्याएं – ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश में विद्यमान नहीं हैं। इन देशों में कृषि और हल्के उद्योग की उपेक्षा करके भारी उद्योग पर एकतरफा ढंग से ज्यादा जोर दिए जाने के परिणामस्वरूप बाजारों में माल की कमी बनी रहती है तथा उनकी मुद्रा अस्थिर रहती है। दूसरी तरफ, हम कृषि और हल्के उद्योग को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते हैं। हम हमेशा से ही कृषि की ओर ध्यान देते आए हैं और उसका विकास करते रहे हैं। हमने औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक अनाज व कच्चे माल की सप्लाई की काफी हद तक गारण्टी कर दी है। हमारे यहां दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में

उपलब्ध हैं तथा चीजों के दाम और मुद्रा दोनों स्थिर हैं।

जो समस्या हमारे सामने इस समय मौजूद है वह है एक तरफ भारी उद्योग में तथा दूसरी तरफ कृषि व हल्के उद्योग इन दोनों में किए जाने वाले पूंजी-निवेश के अनुपात में लगातार उचित सामंजस्य कायम करते रहना, ताकि कृषि और हल्के उद्योग का पहले से और ज्यादा विकास किया जा सके। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारी उद्योग की प्राथमिकता अब समाप्त हो गई है ? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी प्राथमिकता अब भी कायम है, पूंजी निवेश के मामले में हमारे द्वारा ज्यादा जोर अब भी भारी उद्योग पर ही दिया जाता रहेगा। किन्तु कृषि व हल्के उद्योग में किए जाने वाले पूंजी-निवेश के अनुपात में थोड़ी-बहुत वृद्धि करना अब जरूरी हो गया है।

इस वृद्धि के नतीजे क्या होंगे ? इसका पहला नतीजा यह होगा कि जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पहले से अधिक पूर्ति हो सकेगी, दूसरा नतीजा यह होगा कि पूंजी के संचय की रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा, और इस प्रकार हम अपने भारी उद्योग का ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे नतीजे हासिल करते हुए विकास कर सकेंगे। भारी उद्योग के जरिए

भी पूंजी का संचय सम्भव है, लेकिन हमारी मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में तथा अपेक्षाकृत ज्यादा तेज रफ्तार से पूंजी का संचय हल्के उद्योग व कृषि के जरिए ही सम्भव है।

अब यहां एक प्रश्न यह उठ खड़ा होता है : क्या भारी उद्योग का विकास करने की आपकी ख्वाहिश सच्ची है या बनावटी, जोरदार है या मामूली ? यदि आपकी ख्वाहिश केवल बनावटी या मामूली है, तो आप कृषि व हल्के उद्योग को नुकसान पहुंचाएंगे तथा इन क्षेत्रों में कम पूंजी लगाएंगे। यदि आपके अन्दर एक सच्ची और जोरदार ख्वाहिश मौजूद है तो आप कृषि व हल्के उद्योग को ज्यादा महत्व देंगे, ताकि पहले से अधिक अनाज और हल्के उद्योग के काम आने वाला कच्चा माल प्राप्त किया जा सके तथा पहले से अधिक पूंजी जमा की जा सके और ऐसा होने पर भविष्य में भारी उद्योग के लिए पहले से अधिक धनराशि जुटाई जा सकेगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारी उद्योग के विकास के बारे में हमारे सामने दो उपाय मौजूद हैं : पहला उपाय है कृषि व हल्के उद्योग का अपेक्षाकृत कम विकास करना, तथा दूसरा उपाय है उनका अपेक्षाकृत

ज्यादा विकास करना। दूरदृष्टि से देखा जाए तो पहला उपाय अपनाने का नतीजा यह होगा कि आगे चलकर भारी उद्योग का अपेक्षाकृत कम विकास होगा और उसकी रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रहेगी, या कम से कम उसकी बुनियाद उतनी पुख्ता नहीं बन पाएगी, और अगली कुछ दशाब्दियों के बाद हिसाब लगाकर देखा जाएगा तो यह उपाय हमारे लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। इसके विपरीत दूसरा उपाय अपनाने से भारी उद्योग का अपेक्षाकृत अधिक विकास होगा तथा उसकी रफ्तार भी अपेक्षाकृत तेज रहेगी, और चूंकि इस उपाय से जनता के जीवन की आवश्यकताओं की गारण्टी हो जाती है इसलिए इससे भारी उद्योग के विकास की बुनियाद ज्यादा पुख्ता हो जाएगी।

2. तटवर्ती इलाकों में स्थित उद्योगों तथा भीतरी इलाकों में स्थित उद्योगों के बीच के सम्बन्ध

अतीत काल में, हमारे उद्योग समुद्रतटवर्ती इलाकों में केन्द्रित रहे हैं। समुद्र तटवर्ती इलाकों से हमारा मतलब है ल्याओनिङ, हपे, पेकिङ, थ्येनचिन, पूर्वी हनान, शानतुङ, आनह्वेइ, च्याङसू, शांघाई, चच्याङ,

फुच्येन, क्वाङतुङ और क्वाङशी के इलाके। भारी और हल्के उद्योग सहित हमारे समूचे उद्योग का लगभग 70 प्रतिशत भाग समुद्रतटवर्ती इलाकों में फैला हुआ है और केवल 30 प्रतिशत भाग ही भीतरी इलाकों में स्थित है। यह असंगत स्थिति इतिहास की देन है। समुद्रतटवर्ती औद्योगिक केन्द्रों का पूरी तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन उद्योगों के विकास के दौरान उनके वितरण में सन्तुलन लाने के लिए यह भी जरूरी है कि भीतरी इलाकों में उद्योग के विकास को भरपूर बढ़ावा दिया जाए। इन दो प्रकार के इलाकों के उद्योगों के बीच के सम्बन्धों को लेकर हमने कोई बड़ी गलती नहीं की है। फिर भी, हाल के कुछ वर्षों में हम अपने समुद्रतटवर्ती उद्योगों के महत्व को कुछ हद तक कम करके आंकते रहे हैं तथा उनके विकास की ओर हमने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है। इस स्थिति को बदलना जरूरी है।

कुछ समय पहले तक कोरिया में लड़ाई चल रही थी और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति काफी तनावपूर्ण थी; इसका प्रभाव समुद्रतटवर्ती उद्योगों के प्रति हमारे रवैये पर पड़ना स्वाभाविक ही था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि निकट भविष्य में चीन के विरुद्ध कोई नया

आक्रमणकारी युद्ध या एक नया विश्वयुद्ध छिड़ने जा रहा है, बल्कि सम्भावना इस बात की है कि एक दशाब्दी या इससे कुछ अधिक समय तक शान्ति बनी रहेगी। इसलिए यदि हम अब भी अपने समुद्रतटवर्ती उद्योगों की संयंत्र-क्षमता और तकनीकी शक्ति का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो यह एक गलत बात होगी। दस वर्षों की बात तो जाने दीजिए, अगर हमें केवल पांच वर्ष का समय ही मिल जाए, तो भी हमें कठोर परिश्रम करते हुए चार वर्षों तक तो समुद्रतटवर्ती इलाकों के उद्योगों का विकास करना चाहिए और पांचवें वर्ष युद्ध भड़क उठने की स्थिति में उन लोगों को वहां से स्थानान्तरित कर देना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हल्के उद्योग के क्षेत्र में एक कारखाने का निर्माण और उसके द्वारा पूंजी-संचय आम तौर पर काफी जल्दी हो जाता है। समूचे कारखाने में उत्पादन-प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद वह चार वर्षों में इतनी कमाई कर सकता है कि उससे अपनी खुद की पूंजीगत लागत की पूर्ति करने के साथ-साथ तीन नए कारखानों, या दो या एक या कम से कम आधे कारखाने का निर्माण तो कर ही सकता है। हम इस तरह के लाभप्रद कार्य क्यों न करें ? यह सोचना कि

परमाणु बम बस हमारे सिर पर मंडरा रहा है और कुछ ही क्षणों में हमारे ऊपर गिरने वाला है, एक ऐसा अनुमान है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता, और ऐसे अनुमान को आधार बनाकर समुद्रतटवर्ती उद्योगों के प्रति एक नकारात्मक रवैया अपनाना गलत होगा।

लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि सभी नए कारखाने समुद्रतटवर्ती इलाकों में ही बनाए जायं। निस्सन्देह, अधिकांश नए उद्योग धन्धे भीतरी इलाकों में ही स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि उद्योगों के वितरण में कदम-ब-कदम सन्तुलन लाया जा सके; इसके अलावा युद्ध के खिलाफ हमारी तैयारियों को मजबूत बनाने में भी यह सहायक सिद्ध होगा। फिर भी अनेक नई फैक्टरियां व खानें, जिनमें बड़ी फैक्टरियां व खानें शामिल हैं, समुद्रतटवर्ती इलाकों में कायम की जा सकती हैं। जहां तक समुद्रतटवर्ती इलाकों में पहले से ही कायम हल्के और भारी उद्योगों के विस्तार और पुनर्निर्माण का प्रश्न है, इस दिशा में हम पहले ही काफी काम कर चुके हैं और भविष्य में और अधिक करते रहेंगे।

समुद्रतटवर्ती इलाकों में स्थित पुराने उद्योगों की उत्पादन-क्षमता का समुचित उपयोग व विकास करके

हम भीतरी इलाकों के उद्योगों को बढ़ावा देने तथा सहायता प्रदान करने की दृष्टि से पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस बारे में नकारात्मक रवैया अपनाने से भीतरी इलाकों में उद्योग के तीव्र विकास में रुकावटें पैदा हो जाएंगी। इसलिए यह सवाल भी एक इसी तरह का सवाल है कि भीतरी इलाकों में उद्योगों का विकास करने की हमारी ख्वाहिश सच्ची है अथवा नहीं। अगर यह सच्ची है, बनावटी नहीं, तो यह जरूरी है कि हम समुद्रतटवर्ती इलाकों के उद्योगों को, खास तौर से हल्के उद्योगों को, ज्यादा सक्रिय रूप से उपयोग में लाएं और बढ़ावा दें।

3. आर्थिक निर्माण और प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण के बीच के सम्बन्ध

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का कार्य एक अत्यावश्यक कार्य है। हमारी प्रतिरक्षा-क्षमता अब एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुकी है। अमरीकी आक्रमण का प्रतिरोध करने और कोरिया की सहायता करने के युद्ध के परिणामस्वरूप और कई वर्षों के प्रशिक्षण और सुदृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप, हमारी सशस्त्र सेनाएं पहले से अधिक

शक्तिशाली बन गई हैं और इस समय वे द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले की सोवियत लाल सेना से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं; इसके साथ-साथ हमारे अस्त्र शस्त्रों में भी सुधार हुआ है। हमारे प्रतिरक्षा उद्योग का निर्माण किया जा रहा है। जबसे फान कू ने धरती और आकाश को एक दूसरे से अलग किया, हम विमानों और मोटर-गाड़ियों का उत्पादन करने की स्थिति में कभी नहीं पहुंच सके, लेकिन अब हमने उनका उत्पादन शुरू कर दिया है।

परमाणु बम अब भी हमारे पास नहीं है। लेकिन अतीत में हमारे पास हवाई जहाज व तोपें भी तो नहीं थीं। तो भी सिर्फ कोदों और बन्दूक के योग पर निर्भर रहकर ही हमने जापानी साम्राज्यवादियों और च्याङ काई-शेक को शिकस्त दे दी। अब हम पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली हैं तथा भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली बनते जाएंगे। हमारे पास न सिर्फ और ज्यादा संख्या में हवाईजहाज व तोपें होंगी बल्कि परमाणु बम भी होंगे। आज की दुनिया में अगर हम यह चाहते हैं कि हम पर कोई धौंस न जमाए, तो परमाणु बम के बिना हमारा काम हरगिज नहीं चल सकता। तब फिर इस सम्बन्ध में क्या किया जाना

चाहिए ? एक विश्वसनीय तरीका यह है कि सैनिक और प्रशासनिक खर्चों में उचित अनुपात में कटौती करके आर्थिक निर्माण पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए। आर्थिक निर्माण के विकास की रफ्तार को तेज करके ही प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण में पहले से ज्यादा प्रगति की जा सकती है।

हम अपनी पार्टी की सातवीं केन्द्रीय कमेटी के 1950 में आयोजित तीसरे पूर्ण अधिवेशन में, राज्य के ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाने और सैनिक तथा प्रशासनिक खर्चों में कटौती करने के सवाल को उठा चुके हैं और यह राय कायम कर चुके हैं कि यह उपाय हमारी वित्तीय व आर्थिक स्थिति को बुनियादी रूप से बेहतरी की ओर मोड़ने के लिए जरूरी तीन पूर्वशर्तों में से एक है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में, सैनिक तथा प्रशासनिक मदों पर होने वाला व्यय हमारे राजकीय बजट के कुल व्यय का 30 प्रतिशत था। यह अनुपात बहुत अधिक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, हमें इस व्यय को घटाकर 20 प्रतिशत के आसपास लाना है, ताकि और अधिक कारखानों के निर्माण तथा और अधिक मशीनों के उत्पादन के लिए पहले से ज्यादा धनराशि जुटाई जा सके। कुछ समय बाद, हमारे

पास न सिर्फ पर्याप्त संख्या में हवाईजहाज व तोपें हो जाएंगी, बल्कि सम्भवत: अपने खुद के परमाणु बम भी हो जाएंगे।

यहां फिर वही सवाल पैदा होता है : क्या परमाणु बम के लिए आपकी ख्वाहिश सच्ची और बहुत जोरदार है ? या कि इस बारे में आप की ख्वाहिश महज हल्की-फुल्की है और आप इसके लिए बहुत अधिक ख्वाहिशमन्द नहीं हैं ? अगर आपकी यह ख्वाहिश सच्ची और बहुत जोरदार है, तो फिर आप सैनिक और प्रशासनिक खर्चों के अनुपात में कमी कर देंगे तथा आर्थिक निर्माण पर होने वाले व्यय में वृद्धि कर देंगे। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश सच्ची नहीं और आप इसके लिए बहुत अधिक ख्वाहिशमन्द नहीं हैं, तो आप फिर पुरानी लीक पर ही चलते रहेंगे। यह एक रणनीतिक उसूल का मसला है, और मुझे उम्मीद है कि फौजी कमीशन इस पर विचार-विमर्श करेगा।

क्या यह उचित होगा कि अब हम अपनी तमाम फौजों को भंग कर दें ? नहीं, यह उचित नहीं होगा। कारण, हमारे दुश्मन अब भी मौजूद हैं, और वे हम पर धौंस जमा रहे हैं और हमें घेरे हुए हैं। हमें अपनी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को मजबूत बनाना होगा, और इस

उद्देश्य से हमें सबसे पहले अपने आर्थिक निर्माण के कार्य को सुदृढ़ करना है।

4. राज्य, उत्पादन की इकाइयों तथा उत्पादकों के बीच के सम्बन्ध

एक पक्ष में राज्य और दूसरे पक्ष में कारखानों व कृषि सहकारी समितियों के बीच के सम्बन्धों तथा एक पक्ष में कारखानों व कृषि सहकारी समितियों और दूसरे पक्ष में उत्पादकों के बीच के सम्बन्धों – इन दोनों ही प्रकार के सम्बन्धों के मसले को सही ढंग से निपटाया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम केवल एक पक्ष को नहीं, बल्कि तीनों ही पक्षों को, यानी राज्य, समुदाय और व्यक्ति का ध्यान में रखें, या, जैसा कि हम कहा करते थे, ''सेना और जनता इन दोनों को ही ध्यान में रखा जाए'' तथा ''सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित इन दोनों को ही ध्यान में रखा जाए''। सोवियत संघ के अनुभवों और खुद हमारे अनुभवों को देखते हुए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि अब से हम इस समस्या को बेहतर ढंग से हल करें।

मिसाल के तौर पर, मजदूरों को ही लीजिए। जैसे जैसे उनकी श्रम-उत्पादकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके काम की स्थितियों और सामूहिक कल्याण में भी कदम-ब-कदम सुधार होना चाहिए। हम हमेशा से ही सादा जीवन और कठोर परिश्रम के हिमायती रहे हैं और व्यक्तिगत भौतिक सुख-सुविधाओं को बाकी तमाम बातों की तुलना में सर्वोपरि रखने के विरोधी रहे हैं; साथ ही, हम हमेशा से ही जन-समुदाय की जीवन-स्थिति का खयाल रखने की हिमायत करते रहे हैं तथा नौकरशाही का विरोध करते रहे हैं, जो जन-समुदाय के कल्याण के प्रति अन्यमनस्कता का रवैया अपनाती है। हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ, तनखाहों को भी समुचित रूप से व्यवस्थित करते रहना चाहिए। हाल ही में, हमने कुछ हद तक तनखाहें बढ़ाने का, मुख्य रूप से निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों की तनखाहें, मजदूरों की तनखाहें बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि उनके और ऊपरी स्तर के कर्मचारियों के बीच तनखाहों के अन्तर को कम किया जा सके। आम तौर पर कहा जा सकता है कि हमारे यहां की तनखाहें अब भी ऊंची नहीं हैं, लेकिन अतीत की तुलना में

हमारे मजदूरों के जीवन में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि अन्य बातों के अलावा, अब पहले से ज्यादा लोग रोजगार में लगे हुए हैं तथा कीमतें कम व स्थिर हैं। सर्वहारा वर्ग के शासन के अन्तर्गत, हमारे मजदूरों ने हमेशा से ही ऊंची राजनीतिक चेतना का और श्रम के प्रति जबरदस्त उत्साह का परिचय दिया है। पिछले साल के अन्त में जब केन्द्रीय कमेटी ने दक्षिणपंथी रूढ़िवाद के विरुद्ध संघर्ष का आवाहन किया, तो मजदूरों के समुदाय ने बड़े जोश के साथ उस पर अमल किया और एक अभूतपूर्व काम यह किया कि तीन महीने भरपूर शक्ति से काम करके इस साल की पहली तिमाही की योजना के लक्ष्यों की अतिपूर्ति कर ली। कठोर परिश्रम करने के इस जोश को हमें बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही उनके काम व दैनिक जीवन से सम्बन्धित अत्यावश्यक समस्याओं को हल करने की ओर भी पहले से और ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

यहां मैं एकीकृत नेतृत्व के अन्तर्गत कारखानों की स्वतंत्रता के प्रश्न पर भी कुछ कहना चाहूंगा। मेरे खयाल में यह बात शायद उचित नहीं है कि कारखानों से सम्बन्धित हर मामले का फैसला केन्द्रीय प्राधिकरणों, अथवा प्रान्तीय और म्युनिसिपल प्राधिकरणों द्वारा किया

जाए और कारखानों के पास उनका खुद का कोई प्राधिकार ही न रहे, उनके स्वतंत्र रूप से काम करने की कोई गुंजाइश ही न रहे, उन्हें कोई लाभ ही न प्राप्त हो। हमें केन्द्रीय प्राधिकरणों, प्रान्तीय व म्युनिसिपल प्राधिकरणों तथा कारखानों के बीच प्राधिकारों व मुनाफों का उचित बंटवारा करने के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं है, और इस विषय में कुछ और अध्ययन करना चाहिए। जहां तक उसूल की बात है, केन्द्रीकरण और स्वतंत्रता ये दोनों दो परस्पर विरोधी पहलुओं की एकता के द्योतक हैं तथा केन्द्रीकरण और स्वतंत्रता दोनों ही का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर, हम लोग इस समय एक मीटिंग कर रहे हैं, यह केन्द्रीकरण का पहलू है; मीटिंग के बाद, हममें से कुछ लोग टहलने चले जाएंगे, कुछ लोग किताबें पढ़ने में लग जाएंगे और कुछ लोग भोजन करने चले जाएंगे, यह स्वतंत्रता का पहलू है। अगर हम मीटिंग को स्थगित न करें और हरेक को थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता न दें, बल्कि मीटिंग को लगातार जारी रखें, तो फिर इसका मतलब क्या हम सबकी मौत नहीं है ? यह बात जहां व्यक्तियों के बारे में सच है वहां कारखानों तथा उत्पादन की अन्य इकाइयों के बारे में भी उतनी ही सच है। यदि

उत्पादन की प्रत्येक इकाई को और ज्यादा जोरदार ढंग से अपना विकास करना है, तो उसे केन्द्रीकरण के साथ-साथ स्वतंत्रता का भी उपभोग करना चाहिए।

अब किसानों की बात को लें। किसानों के साथ हमारे सम्बन्ध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन अनाज के सवाल को लेकर हम एक गलती कर चुके हैं। 1954 में बाढ़ की वजह से हमारे देश के कुछ इलाकों में उत्पादन कम हुआ, फिर भी उस साल हमने 700 करोड़ चिन अनाज ज्यादा खरीदा। उत्पादन में गिरावट और खरीद में बढ़ोतरी – इसका नतीजा यह हुआ कि विगत वसन्त में अनेक स्थानों पर अनाज का मसला लगभग हर आदमी की जबान पर था और लगभग प्रत्येक परिवार अनाज की खरीद फरोख्त के राजकीय एकाधिकार की ही बात करता था। किसान असन्तुष्ट हो गए और पार्टी के भीतर और बाहर बहुत सी शिकायतें आने लगीं। यद्यपि कई लोगों ने जानबूझ कर मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और हम पर प्रहार करने के लिए मौके का फायदा उठाया, तो भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारे काम में कोई कमी ही नहीं थी। पर्याप्त जांच-पड़ताल के अभाव में और स्थिति का सही जायजा न लिये जाने के

परिणामस्वरूप 700 करोड़ चिन अनाज ज्यादा खरीद लिया गया – यह एक कमी थी। इस कमी का पता चल जाने पर हमने 1955 में 700 करोड़ चिन अनाज कम खरीदा और अनाज के उत्पादन का तथा अनाज की खरीद व बिक्री का कोटा निश्चित करने की व्यवस्था लागू कर दी,' और इसके साथ ही उस साल फसल भी बढ़िया हुई। अनाज की खरीद में कमी और पैदावार में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप किसानों के हाथ में पहले के मुकाबले 2,000 करोड़ चिन ज्यादा अनाज आ गया। इस प्रकार अतीत में शिकायत करने वाले किसान भी कहने लगे कि "कम्युनिस्ट पार्टी सचमुच बहुत अच्छी है" समूची कम्युनिस्ट पार्टी को यह सबक याद रखना चाहिए।

सोवियत संघ ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो किसानों को बहुत ज्यादा निचोड़ लेते हैं। तथाकथित अनिवार्य बिक्री की व्यवस्था ' और अन्य उपायों के जरिए, वहां किसानों से बहुत कम कीमत पर बहुत ज्यादा पैदावार ले ली जाती है। पूंजी-संचय के इस तरीके के कारण उत्पादन के प्रति वहां के किसानों का उत्साह काफी ठण्डा पड़ गया है। आप चाहते तो हैं कि मुर्गी अंडे ज्यादा दे लेकिन उसे दाना नहीं चुगने देते,

आप चाहते तो हैं कि घोड़ा तेज दौड़े लेकिन उसे घास नहीं चरने देते। कितनी बेहूदा बात है।

किसानों के प्रति हमारी नीति सोवियत संघ की नीति से भिन्न है तथा उसमें राज्य और किसान दोनों के ही हितों को ध्यान में रखा जाता है। हमारे यहां कृषि-टैक्स की दरें हमेशा ही अपेक्षाकृत कम रही हैं। औद्योगिक उत्पादनों और कृषि उत्पादनों के विनिमय में, हम उनकी कीमतों के कैंचीनुमा अन्तर को कम करने की नीति का अनुसरण करते हैं, जो कि समान मूल्यों या लगभग समान मूल्यों का विनिमय करने की नीति है। राज्य द्वारा कृषि उत्पादनों की खरीद प्रतिमानित कीमतों पर की जाती है और किसानों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता; यही नहीं, हमारे यहां खरीद की कीमतों में कदम-ब कदम वृद्धि भी होती जा रही है। किसानों को तैयारशुदा औद्योगिक माल सप्लाई करने में थोड़ा-सा मुनाफा कमाकर ज्यादा से ज्यादा बिक्री बढ़ाने की नीति का और ऐसे माल की कीमतों को स्थिर रखने या उनमें उचित कटौती करने की नीति का अनुसरण किया जाता है; अनाज की कमी वाले इलाकों में किसानों को अनाज सप्लाई करते समय हम आम तौर पर सरकार की तरफ से कुछ न कुछ घाटा पूरा

करके कम कीमत पर अनाज की बिक्री की व्यवस्था करते हैं। यह सब होते हुए भी, यदि हम सावधानी न बरतें तो किसी न किसी प्रकार की गलती अवश्य हो जाएगी। इस सवाल के बारे में सोवियत संघ में की गई गम्भीर गलतियों को ध्यान में रखते हुए, हमें और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए तथा राज्य और किसानों के बीच के सम्बन्धों के मसले को भली-भांति निपटाना चाहिए।

इसी तरह सहकारी समितियों और किसानों के बीच के सम्बन्धों का मसला भी अच्छी तरह निपटाया जाना चाहिए। किसी सहकारी समिति की आमदनी का कितना भाग क्रमशः राज्य के पास, सहकारी समिति के पास और किसानों के पास जाना चाहिए और यह उन सबको किस रूप में मिलना चाहिए, इन बातों का फैसला उचित ढंग से किया जाना चाहिए। जो भाग सहकारी समिति को मिलता है उसे प्रत्यक्ष रूप से किसानों की ही सेवा में लगा दिया जाता है। उत्पादन सम्बन्धी खर्चे के बारे में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, प्रबन्ध सम्बन्धी खर्चा भी जरूरी है, संचित कोष पुनरुत्पादन के विस्तार के लिए है तथा सार्वजनिक कल्याण कोष किसानों के कल्याण के

लिए है। फिर भी, हमें इन अलग-अलग मदों पर किए जाने वाले खर्च के समुचित अनुपात को किसानों के साथ मिलकर तय करना चाहिए। हमें उत्पादन और प्रबन्ध सम्बन्धी खर्च में सख्त किफायत बरतनी चाहिए। संचित कोष और सार्वजनिक कल्याण कोष को एक सीमा के अन्दर ही रखना चाहिए, और किसी को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि सारी की सारी अच्छी बातें एक साल के अन्दर ही पूरी हो जाएंगी।

असाधारण प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति को छोड़कर, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कृषि-उत्पादन में वृद्धि के साथ- साथ हर साल सहकारी समिति के 90 प्रतिशत सदस्यों की आमदनी में कुछ न कुछ वृद्धि जरूरी होती रहे तथा शेष 10 प्रतिशत सदस्यों की आमदनी में भी कोई कमी न आने पाए, और अगर 10 प्रतिशत सदस्यों की आमदनी में कोई कमी आ जाए तो यह जरूरी है कि समय रहते इस समस्या को हल करने के उपाय ढूंढ़ निकाले जाएं।

संक्षेप में, राज्य और कारखाने के बीच, राज्य और मजदूर के बीच, कारखाने और मजदूर के बीच, राज्य और सहकारी समिति के बीच, राज्य और किसान के बीच तथा सहकारी समिति और किसान के बीच के

सम्बन्धों में दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना जरूरी है, महज एक पक्ष को नहीं। महज एक पक्ष की ओर ध्यान देना, वह चाहे कोई भी पक्ष क्यों न हो, समाजवाद के लिए और सर्वहारा अधिनायकत्व के लिए नुकसानदेह साबित होगा। यह एक बड़ा सवाल है जो 60 करोड़ लोगों से सम्बन्ध रखता है, तथा यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में समूची पार्टी और समूचे राष्ट्र के अन्दर लोगों को बारम्बार शिक्षित किया जाए।

5. केन्द्रीय प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच के सम्बन्ध

केन्द्रीय प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच के सम्बन्धों का मसला एक अन्य अन्तरविरोध है। इस अन्तरविरोध को हल करने के लिए हमें अपना ध्यान अब इस ओर केन्द्रित करना है कि स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारों में कुछ सीमा तक वृद्धि कैसे की जाए, उन्हें और अधिक स्वतंत्रता किस प्रकार प्रदान की जाए तथा उन्हें और ज्यादा काम करने के अवसर कैसे दिया जाए, और यह सब हमें इस मान्यता के आधार पर करना है कि केन्द्रीय प्राधिकरणों का

एकीकृत नेतृत्व मजबूत बने। ऐसा करना एक शक्तिशाली समाजवादी देश का निर्माण करने के हमारे कार्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हमारी प्रादेशिक भूमि इतनी विशाल है और हमारी जनसंख्या अधिक है तथा हमारे यहां की परिस्थितियां इतनी जटिल हैं कि केन्द्रीय और स्थानीय दोनों ही स्तर के प्राधिकरणों द्वारा अपनी पहलकदमी इस्तेमाल किया जाना कहीं अधिक बेहतर होगा, बमुकाबले इसके कि केवल किसी एक पक्ष द्वारा पहलकदमी का इस्तेमाल किया जाए। हमें सोवियत संघ की नकल करके हर चीज को केन्द्रीय प्राधिकरणों के ही हाथ में केन्द्रित नहीं कर देना चाहिए, स्थानीय प्राधिकरणों को अनेक प्रकार के बन्धनों में नहीं जकड़ देना चाहिए तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने के अधिकार से वंचित नहीं कर देना चाहिए।

केन्द्रीय प्राधिकरण उद्योग का विकास करना चाहते हैं और स्थानीय प्राधिकरण भी यही करना चाहते हैं। यहां तक कि ऐसे उद्योगों को भी, जो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय प्राधिकरणों के अधीन हैं, स्थानीय प्राधिकरणों से मदद लेने की जरूरत पड़ती रहती है। कृषि और वाणिज्य के बारे में तो यह बात और भी ज्यादा सच है। संक्षेप में, अगर हमें समाजवादी निर्माण को आगे

बढ़ाना है तो यह जरूरी है कि हम स्थानीय प्राधिकरणों की पहलकदमी का विकास करें। अगर हमें केन्द्रीय प्राधिकरणों को मजबूत बनाना है तो यह जरूरी है कि हम स्थानीय प्राधिकरणों के हितों की ओर ध्यान दें।

इस समय स्थिति ऐसी है कि स्थानीय प्राधिकरणों में चारों तरफ से हस्तक्षेप होता रहता है, जिससे उनकी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। जैसे ही कोई मंत्रालय कायम किया जाता है, वह क्रान्ति कर देना चाहता है और इसलिए आदेश जारी करने लगता है। चूंकि विभिन्न मंत्रालय ये आदेश प्रान्तीय स्तर की पार्टी-कमेटियों या जन-परिषदों को देना उचित नहीं समझते, इसलिए वे प्रान्तों या म्युनिसिपलटियों के सम्बन्धित विभागों या ब्यूरोओं से सीधे सम्पर्क कायम कर लेते हैं और प्रति दिन उन्हीं को आदेश देते रहते हैं। समझा यह जाता है कि ये सभी आदेश केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा ही भेजे गए हैं, हालांकि न तो पार्टी की केन्द्रीय कमेटी को और न ही राज्य-परिषद को उनके बारे में कोई जानकारी होती है, और इन आदेशों के कारण स्थानीय प्राधिकरणों का बोझ काफी बढ़ जाता है। आंकड़े जमा करने के लिए बनाए गए विभिन्न प्रकार के फार्मों की इतनी ज्यादा भरमार हो गई है कि वे एक अभिशाप

बन गए हैं। इस हालत को बदलना जरूरी हो गया है।

हमें एक ऐसी कार्यशैली को बढ़ावा देना चाहिए जिसके अन्तर्गत उन मसलों के बारे में स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श करना जरूरी हो जिन्हें हम अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श करना पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का दस्तूर है; वह पहले परामर्श किए बिना जल्दबाजी में कभी कोई आदेश जारी नहीं करती। हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय प्राधिकरणों के अन्तर्गत काम करने वाले विभिन्न मंत्रालय और विभाग इस ओर अच्छी तरह ध्यान देंगे और सम्बन्धित मामलों के बारे में पहले स्थानीय प्राधिकरणों से सलाह-मशविरा कर लेंगे तथा पूर्ण रूप से परामर्श किए बिना कोई भी आदेश जारी नहीं करेंगे।

केन्द्रीय विभागों की दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में वे विभाग आते हैं जिन्हें निचले स्तर के कारोबारों तक नेतृत्व करने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन जिनके स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों व कारोबारों पर स्थानीय प्राधिकरणों की देखरेख भी बनी रहती है। दूसरी श्रेणी में वे विभाग आते हैं जो मार्गदर्शक उसूल निर्धारित करने और योजनाएं बनाने का काम करते हैं, जबकि उन्हें कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरण

निभाते हैं।

हमारे जैसे विशाल देश के लिए और हमारी जैसी विशाल पार्टी के लिए केन्द्रीय और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच के सम्बन्धों के मसले को बखूबी निपटाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कुछ पूंजीवादी देशों में भी इस मसले पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। हालांकि उनकी सामाजिक व्यवस्था हमारी सामाजिक व्यवस्था से बुनियादी तौर पर भिन्न है, फिर भी जो अनुभव उन्हें अपने विकास के दौरान प्राप्त हुए हैं वे हमारे लिए अध्ययन करने योग्य हैं। हम खुद अपने ही अनुभव को लें, हमारे लोक गणराज्य की स्थापना के प्रारम्भिक काल में वृहद प्रशासनिक क्षेत्र कायम किए जाने की व्यवस्था उस समय एक जरूरी चीज थी, फिर भी उसमें कुछ कमियां थीं जिनका बाद में काओ काङ व राओ शू-श के पार्टी-विरोधी गठजोड़ ने कमोबेश फायदा भी उठाया। बाद में वृहद प्रशासनिक क्षेत्रों को भंग करने और विभिन्न प्रान्तों को सीधे केन्द्रीय प्राधिकरणों के अन्तर्गत रखने का फैसला किया गया; यह एक सही फैसला था। लेकिन जब बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि स्थानीय प्राधिकरणों को आवश्यक स्वतंत्रता से वंचित किया जाने लगा, तो

इसका परिणाम भी उतना सन्तोषप्रद नहीं हुआ। हमारे संविधान के अनुसार, कानून बनाने के सारे प्राधिकार केन्द्रीय प्राधिकरणों के पास हैं। लेकिन स्थानीय प्राधिकरण अपनी ठोस परिस्थितियों और काम की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने लिए नियम-विनियम खुद बना सकते हैं और ठोस कदम खुद निर्धारित कर सकते हैं, बशर्ते कि केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित उसूलों का उल्लंघन न होता हो; ऐसा करना संविधान के अन्तर्गत वर्जित नहीं है। हम एकता और विशिष्टता दोनों ही चाहते हैं। एक शक्तिशाली समाजवादी देश का निर्माण करने के लिए एक मजबूत व एकीकृत केन्द्रीय नेतृत्व का होना तथा समूचे देश में एकीकृत नियोजन व अनुशासन का होना बिलकुल अनिवार्य है; इस अनिवार्य एकता को भंग करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। साथ ही, यह भी जरूरी है कि स्थानीय प्राधिकरणों की पहलकदमी का पूरी तरह विकास किया जाए तथा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को उसकी स्थानीय स्थितियों के अनुकूल अपनी विशिष्टता बनाए रखने दिया जाय। यह विशिष्टता काओ काड की तरह की विशिष्टता नहीं है, बल्कि एक ऐसी विशिष्टता है जो सम्पूर्ण के हित में है और

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से आवश्यक है।

विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों के बीच के सम्बन्धों का मसला भी हमारे सामने है, और यहां मैं मुख्य रूप से ऊपर के स्तर के स्थानीय प्राधिकरणों और निचले स्तर के स्थानीय प्राधिकरणों के बीच के सम्बन्ध का उल्लेख करना चाहता हूं। जब केन्द्रीय विभागों के बारे में प्रान्तों और म्युनिसिपलटियों की शिकायतें पैदा होती रहती हैं तो क्या यह सम्भव है कि प्रान्तों और म्युनिसिपल्टियों के बारे में प्रिफेक्चरों, काउण्टियों, जिलों या श्याङों की कोई भी शिकायतें न हों? केन्द्रीय प्राधिकरणों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे प्रान्तों और म्युनिसिपलटियों को अपनी पहलकदमी का विकास करने का अवसर दें और इसी प्रकार प्रान्तों और म्युनिसिपलटियों को भी प्रिफेक्चरों, काउण्टियों, जिलों और श्याङों के साथ ऐसा ही करना चाहिए; दोनों ही सूरतों में यह हरगिज नहीं होना चाहिए कि निचले स्तर के प्राधिकरण अपने को एक जकड़जाम में बन्द महसूस करने लगें। निस्सन्देह, निचले स्तर के कामरेडों को इस बात की जानकारी देते रहना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनके बारे में केन्द्रीकरण का उसूल लागू करना जरूरी है,

तथा उन्हें मनमाने ढंग से हरगिज काम नहीं करना चाहिए। संक्षेप में, केन्द्रीकरण के उसूल को वहीं लागू किया जाना चाहिए जहां ऐसा करना सम्भव और जरूरी हो, अन्यथा उसे हरगिज लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रान्तों, म्युनिसिपलटियों, प्रिफेक्चरों, काउण्टियों, जिलों और श्याड़ों सभी को अपनी-अपनी यथोचित स्वतंत्रता और अधिकारों का उपभोग करना चाहिए तथा उनके लिए संघर्ष करना चाहिए। समूचे राष्ट्र के हित में, किसी एक स्थानीय विभाग के हित में नहीं, इन अधिकारों के लिए संघर्ष करने को स्थानीयतावाद का नाम नहीं दिया जा सकता और न ही उसे स्वतंत्रता का अनुचित दावा करना कहा जा सकता है।

विभिन्न प्रान्तों और म्युनिसिपलटियों के बीच के सम्बन्ध भी विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों के बीच के सम्बन्धों का ही अन्य रूप हैं और इन सम्बन्धों के मसले को भी उचित ढंग से निपटाया जाना चाहिए। सामान्य हितों को ध्यान में रखने, एक दूसरे की सहायता करने और एक दूसरे की सहूलियत को ध्यान में रखकर काम करने की नीति की हिमायत करना एक ऐसा उसूल है जिसका हम अविचल रूप से पालन करते हैं।

केन्द्रीय और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच के सम्बन्धों और विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों के बीच के सम्बन्धों के सवाल को हल करने के बारे में हमारा अनुभव अब भी अपर्याप्त और अपरिपक्व है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बड़ी संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करेंगे तथा विचार-विनिमय करेंगे और समय-समय पर अपने अनुभवों का निचोड़ निकालते रहेंगे, ताकि हमारी उपलब्धियों को समृद्ध बनाया जा सके तथा खामियों को दूर किया जा सके।

6. हान राष्ट्रीयता और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के बीच के सम्बन्ध

तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो हान राष्ट्रीयता और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के बीच के सम्बन्धों के बारे में हमारी नीति उचित है तथा उसे अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं का समर्थन प्राप्त है। हम हान शोविनिज्म का विरोध करने पर जोर देते हैं। स्थानीय-राष्ट्रीयता शोविनिज्म का विरोध करना भी जरूरी है, लेकिन आम तौर पर इस पर हम ज्यादा जोर नहीं देते।

हमारे देश की अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की आबादी

तो कम है, लेकिन वह इलाका जहां ये अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं रहती हैं, बहुत बड़ा है। देश की कुल आबादी में 94 प्रतिशत लोग हान राष्ट्रीयता के हैं, जो एक भारी बहुसंख्या है। अगर उन्होंने हान शोविनिज्म पर अमल किया और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के लोगों के विरुद्ध भेदभाव बरता, तो यह एक बहुत बुरी बात होगी। और जमीन किसके पास ज्यादा है ? अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के पास, जिनके हाथ में 50 से 60 प्रतिशत तक जमीन है। हमारा कहना है कि चीन एक विशाल इलाके, प्रचुर साधन- स्रोतों और बड़ी आबादी वाला देश है; दरअसल आबादी तो हान राष्ट्रीयता की अधिक है, लेकिन इलाका अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं का बड़ा है तथा उन्हीं के पास प्रचुर साधन स्रोत भी हैं, या कम से कम, भूमि के नीचे मौजूद साधन-स्रोत तो सम्भवतः उन्हीं के पास ज्यादा हैं।

चीन के इतिहास के निर्माण में देश की सभी अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं ने योगदान किया है। हान राष्ट्रीयता की विशाल आबादी एक लम्बे अरसे के दौरान अनेक राष्ट्रीयताओं के परस्पर मिलन का परिणाम है। अतीत काल में, प्रतिक्रियावादी शासकों ने, जो मुख्य रूप से हान राष्ट्रीयता के ही थे, हमारी विभिन्न

राष्ट्रीयताओं के बीच मनमुटाव की भावना पैदा की तथा अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के लोगों पर अत्याचार किए। उसके असर को, और लोगों की बात तो दूर, मेहनतकश लोगों के बीच से भी थोड़े समय में मिटा देना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए राष्ट्रीयताओं से सम्बन्धित अपनी सर्वहारा नीति के बारे में हमें अपने कार्यकर्ताओं और जन-समुदाय दोनों को व्यापक रूप से निरन्तर शिक्षित करते रहना चाहिए, तथा हान राष्ट्रीयता और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के बीच के सम्बन्धों का बारम्बार पुनरावलोकन करने पर ध्यान देते रहना चाहिए। ऐसा ही एक पुनरावलोकन दो साल पहले किया गया था, और अब समय आ गया है कि एक बार फिर यह पुनरावलोकन कर लिया जाय। अगर उनके बीच के सम्बन्ध सामान्य नहीं हैं, तो यह जरूरी है कि हम इस मसले को बड़ी संजीदगी के साथ हल करें, न कि सिर्फ जबानी जमा-खर्च करते रहें।

हमें इस बात का अच्छी तरह अध्ययन करना होगा कि आर्थिक प्रबन्ध व वित्त से सम्बन्धित ऐसी कौन सी प्रणालियां हैं जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के इलाकों में अपनाए जाने योग्य हैं।

हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अल्पसंख्यक

राष्ट्रीयताओं की सच्चे दिल से और सक्रिय रूप से मदद करें, ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्था व संस्कृति का विकास कर सकें। सोवियत संघ में रूसी राष्ट्रीयता और वहां की अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के बीच के सम्बन्ध अत्यन्त असामान्य हैं; इससे हमें सबक लेना चाहिए। वातावरण में मौजूद वायु, धरती पर खड़े जंगल तथा जमीन के नीचे मौजूद सम्पदा ये सभी महत्वपूर्ण तत्त्व हैं जो समाजवाद के निर्माण के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनमें से किसी भी भौतिक तत्त्व का दोहन और इस्तेमाल बिना मानव तत्त्व के सम्भव नहीं है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम हान राष्ट्रीयता और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के बीच अच्छे सम्बन्धों का विकास करें और तमाम राष्ट्रीयताओं के बीच की एकता को सुदृढ़ बनाएं, ताकि हम अपने सम्मिलित प्रयास द्वारा अपनी महान समाजवादी मातृभूमि का निर्माण कर सकें।

7. पार्टी और गैर-पार्टी तत्त्वों के बीच के सम्बन्ध

हमारे यहां केवल एक पार्टी हो या कई पार्टियां,

इन दोनों में कौन सी स्थिति बेहतर है? इस समय जैसी स्थिति है उसे देखते हुए बेहतर शायद यही है कि कई पार्टियां हों। यह बात अतीत में भी सच थी और सम्भवत: भविष्य में भी सच रहेगी; इसका मतलब यह है कि दीर्घकालीन सहअस्तित्व और पारस्परिक निरीक्षण की स्थिति बनी रहेगी।

हमारे देश में अनेक जनवादी पार्टियों का, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और उसके बुद्धिजीवियों की पार्टियां हैं, जापानी आक्रमण-विरोधी युद्ध और च्याङ काई-शेक-विरोधी संघर्ष के दौरान उदय हुआ था, और वे आज तक कायम हैं। इस मायने में, चीन की स्थिति सोवियत संघ से भिन्न है, हमने सोच समझकर जनवादी पार्टियों के अस्तित्व को कायम रखा है, उन्हें अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया है तथा उनके प्रति एकता और संघर्ष दोनों की नीति अपनाई है। हम ऐसे सभी गण्यमान्य जनवादी व्यक्तियों के साथ एकता कायम करने के पक्ष में हैं जो नेक इरादे से हमारे बारे में आलोचना करते हैं। क्वोमिन्ताङ की सेना और सरकार से आए वेई ली-ह्वाङ और वङ वन-हाओ जैसे देशभक्त लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।

यहां तक कि हमें लुङ युन, ल्याङ शू-मिङ और फङ ई-हू की तरह के गाली-गलौज करने वाले लोगों को भी जीवन-निर्वाह का खर्च देना चाहिए तथा उनकी बेहूदा बकवास का खण्डन करते हुए और उनके द्वारा की गई भर्त्सना में जो बात तर्कसंगत लगे उसे ग्रहण करते हुए उन्हें हमारी निन्दा करने की इजाजत दे देनी चाहिए। ऐसा करना पार्टी के लिए, जनता के लिए और समाजवाद के लिए फायदेमन्द है।

चूंकि चीन में वर्गों और वर्ग-संघर्ष का अस्तित्व अब भी कायम है, इसलिए किसी न किसी रूप में विरोधी पक्ष का बना रहना लाजिमी है। हालांकि सभी जनवादी पार्टियां और निर्दलीय गण्यमान्य जनवादी व्यक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में उनमें से अनेक व्यक्ति कम या ज्यादा मात्रा में हमारे विरोध में खड़े हैं। "क्रान्ति को अन्त तक चलाने", अमरीकी आक्रमण का प्रतिरोध करने व कोरिया की सहायता करने के आन्दोलन और भूमि-सुधार जैसे मामलों में वे हमारे विरोधी भी थे और नहीं भी। प्रतिक्रान्तिकारियों के दमन के औचित्य के बारे में उनके मन में आज तक सन्देह बना हुआ है। वे नहीं चाहते थे कि हमारे

यहां एक समाजवादी ढंग का संविधान हो, क्योंकि उनके कथनानुसार मुश्तरका प्रोग्राम बिलकुल दुरुस्त था, किन्तु जब संविधान का मसौदा पेश हुआ तो उन सभी व्यक्तियों ने उसके समर्थन में अपना हाथ उठा दिया। वस्तुएं अक्सर अपने विरोधी तत्वों में बदल जाती हैं, और यह बात अनेक सवालों पर जनवादी पार्टियों द्वारा अपनाए गए रवैये के बारे में भी सच है। ये पार्टियां जहां एक तरफ हमारे खिलाफ हैं वहां दूसरी तरफ हमारे खिलाफ नहीं भी हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि वे हमारे विरोध करने की स्थिति से शुरू करके हमारा विरोध न करने की स्थिति में पहुंच जाती हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी और जनवादी पार्टियां ये सभी इतिहास की देन हैं। इतिहास में जिस वस्तु का उदय होता है वह इतिहास में ही विलीन भी हो जाती है। इसलिए एक न एक दिन कम्युनिस्ट पार्टी अवश्य विलीन हो जाएगी और जनवादी पार्टियां भी अवश्य विलीन हो जाएंगी। क्या यह विलीनीकरण एक अप्रिय घटना होगी ? मेरी राय में तो यह एक बहुत सुखद घटना होगी। मैं तो इसे बहुत अच्छी बात समझता हूं कि एक दिन हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी और सर्वहारा अधिनायकत्व को तिलांजलि दे सकेंगे। हमारा कार्य है

उनके विलोप की प्रक्रिया को तेज कर देना। इस मुद्दे पर हम पहले भी कई बार अपने विचार प्रकट कर चुके हैं।

लेकिन वर्तमान काल में सर्वहारा पार्टी और सर्वहारा अधिनायकत्व के बिना हमारा काम नहीं चल सकता; यही नहीं, उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाना भी निहायत जरूरी है। अन्यथा हम प्रतिक्रान्तिकारियों का दमन करने, साम्राज्यवादियों का प्रतिरोध करने और समाजवाद का निर्माण करने और समाजवाद का निर्माण होने पर उसे सुदृढ़ बनाने में कामयाब न हो सकेंगे। यह कथन किसी भी सूरत में सही नहीं है कि सर्वहारा पार्टी और सर्वहारा अधिनायकत्व के बारे में लेनिन का सिद्धान्त "पुराना पड़ गया है", जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। सर्वहारा अधिनायकत्व एक अत्यधिक दमनकारी वस्तु के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। तो भी, यह जरूरी है कि नौकरशाही का और एक बोझिल ढांचे का विरोध किया जाए। मेरा प्रस्ताव है कि पार्टी और सरकार के अंगों को मुकम्मिल तौर पर चुस्त-दुरुस्त बनाया जाए तथा उनमें दो-तिहाई की कटौती कर दी जाय, बशर्ते कि किसी की मृत्यु न हो जाय और कोई काम रुके नहीं।

लेकिन, पार्टी और सरकार के अंगों को चुस्त-दुरुस्त बनाने का यह मतलब नहीं है कि जनवादी पार्टियों से पिंड छुड़ा लिया जाय। मेरा सुझाव है कि उनके साथ अपने सम्बन्धों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आप लोगों को हमारे संयुक्त मोर्चे के काम की ओर ध्यान देना चाहिए और समाजवाद के कार्य के लिए उनके उत्साह को जागृत करने का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।

8. क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति के बीच के सम्बन्ध

प्रतिक्रान्तिकारियों की गिनती किस प्रकार के तत्वों में की जानी चाहिए? उनकी गिनती नकारात्मक तत्वों में, विध्वंसकारी तत्वों में की जानी चाहिए; वे सकारात्मक तत्वों का विरोध करने वाली शक्तियां हैं। क्या प्रतिक्रान्तिकारियों के लिए यह सम्भव है कि वे बदल जाएं ? निस्सन्देह, कट्टरपंथी लोग कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन, हमारे देश की परिस्थितियों में, अधिकांश प्रतिक्रान्तिकारी लोग अन्ततः कम या ज्यादा सीमा तक बदल जाएंगे। हमारे द्वारा अपनाई गई सही नीति के परिणामस्वरूप बहुत से प्रतिक्रान्तिकारी लोगों का ऐसे

व्यक्तियों में रूपान्तर हो चुका है जो अब क्रान्ति का विरोध नहीं करते, तथा उनमें से कुछ ने तो थोड़े-बहुत अच्छे काम भी किए हैं।

यहां पर निम्नोक्त मुद्दों की पुष्टि करना जरूरी है:

पहले, इस बात की पुष्टि कर देनी चाहिए कि 1951-52 में प्रतिक्रान्तिकारियों का दमन करना जरूरी था। एक दृष्टिकोण यह भी है कि यह आन्दोलन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। यह दृष्टिकोण गलत है।

प्रतिक्रान्तिकारियों से निपटने में ये तरीके अपनाए जा सकते हैं : वध करना, कारावास में डाल देना, उन पर निगरानी रखना और उन्हें खुला छोड़ देना। वध करना -- सभी लोग जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। कारावास से हमारा मतलब है प्रतिक्रान्तिकारियों को जेल में रखकर श्रम के जरिए उनका नव रूपान्तर करना। निगरानी से हमारा मतलब है उन्हें समाज के बीच बने रहने देना और जन-समुदाय की देख रेख में उनका नव रूपान्तर करना। जब हम उन्हें खुला छोड़ देने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आम तौर से ऐसे लोगों को गिरफ्तार न किया जाए जिनकी केस गिरफ्तारी की दृष्टि से हाशिए पर है, अथवा यह कि गिरफ्तार किए गए ऐसे लोगों को रिहा

कर दिया जाए जो अच्छा व्यवहार करें। यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रान्तिकारियों के मामलों को निपटते समय प्रत्येक केस की ठोस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके अपनाए जायं।

आइए, अब हम विशेष रूप से वध करने के बारे में विचार करें। यह सच है कि प्रतिक्रान्तिकारियों का दमन करने के आन्दोलन के दौरान, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, हमने कुछ लोगों का वध किया। लेकिन ये किस तरह के लोग थे ? ये लोग ऐसे प्रतिक्रान्तिकारी थे जिनके ऊपर जनता के खून का बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था तथा जिनसे जनता बेहद नफरत करती थी। 60 करोड़ जनता की महान क्रान्ति में, अगर हमने ''पूरब के जालिम तानाशाह'' और ''पश्चिम के जालिम तानाशाह'' जैसे स्थानीय निरंकुश तत्वों का वध न किया होता तो जन-समुदाय का उठ खड़ा होना सम्भव नहीं था। अगर दमन का वह आन्दोलन न चलाया गया होता, तो जनता नरमी बरतने की हमारी मौजूदा नीति को भी स्वीकार न करती। चूंकि अब कुछ लोगों ने यह सुन लिया है कि स्तालिन ने कई लोगों का गलत तौर पर वध कर दिया था, इसलिए वे तुरन्त यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि

उन प्रतिक्रान्तिकारियों का वध करके हमने भी गलती की थी। नहीं, यह बात सही नहीं है। उन प्रतिक्रान्तिकारियों का वध किया जाना सर्वथा उचित था, इस बात की पुष्टि करना आज फौरी अहमियत रखता है।

दूसरे, इस बात की पुष्टि कर देनी चाहिए कि प्रतिक्रान्तिकारी लोग अब भी मौजूद हैं, हालांकि उनकी तादाद पहले से बहुत कम हो गई है। हू फङ का मामला रोशनी में आने के बाद यह जरूरी हो गया कि प्रतिक्रान्तिकारियों को ढूंढ़ निकाला जाए। जो प्रतिक्रान्तिकारी अभी तक छिपे हुए हैं उनको ढूंढ़कर उनका सफाया करने का प्रयास जारी रहना चाहिए। इस बात की पुष्टि कर देनी चाहिए कि थोड़े से प्रतिक्रान्तिकारी लोग अब भी बने हुए हैं जो किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रान्तिकारी विध्वंसकारी गतिविधियां करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर वे मवेशियों को मार देते हैं, अनाज जला डालते हैं, कारखानों को तबाह कर डालते हैं, गोपनीय जानकारी की चोरी करते हैं और प्रतिक्रियावादी पोस्टर लगाते रहते हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि प्रतिक्रान्तिकारियों का पूरी तरह सफाया किया जा चुका है और हम इतमीनान से तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद सो सकते हैं। चीन में और विश्व में जब तक

वर्ग संघर्ष मौजूद है, हम अपनी सतर्कता में हरगिज ढील नहीं आने दे सकते। लेकिन, इस बात पर जोर देना भी उतना ही गलत होगा कि प्रतिक्रान्तिकारी लोग अब भी भारी संख्या में मौजूद हैं।

तीसरे, समाज में मौजूद प्रतिक्रान्तिकारियों का दमन करते समय, अब से हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यथासम्भव कम संख्या में गिरफ्तारियां की जाएं तथा यथासम्भव कम संख्या में लोगों का वध किया जाए। ऐसे लोग जनता के जानी और करीबी दुश्मन हैं तथा जनता उनसे बेहद नफरत करती है, और इसलिए उनमें से थोड़े से लोगों का वध भी किया जाना चाहिए। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को कृषि सहकारी समितियों के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए तथा वहां उन पर निगरानी रखते हुए उनसे खेतीबाड़ी का काम लिया जाना चाहिए और श्रम के जरिए उनका नव रूपान्तर किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, हम यह ऐलान नहीं कर सकते कि अब से किसी का वध नहीं किया जाएगा और न ही हम मृत्यु-दण्ड को दण्ड के रूप में समाप्त कर सकते हैं।

चौथे, पार्टी और सरकार के अंगों, विद्यालयों और फौजी यूनिटों से प्रतिक्रान्तिकारियों को ढूंढ़ निकालते

समय यह जरूरी है कि एक भी व्यक्ति की जान न लेने और कम से कम लोगों को गिरफ्तार करने की नीति का पालन किया जाए, जिसकी शुरुआत येनान में की गई थी। तसदीकशुदा प्रतिक्रान्तिकारियों के बारे में सम्बन्धित संगठनों द्वारा ही जांच-पड़ताल की जाय, और सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरोओं द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए, प्रोक्यूरेटरीय अंगों द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही शुरू न की जाए तथा न्यायिक अदालतों द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा न चलाया जाए। हर सौ प्रतिक्रान्तिकारियों में से 90 से भी अधिक लोगों के मामलों को इसी ढंग से निपटाया जाना चाहिए। कम से कम लोगों को गिरफ्तार करने से हमारा यही मतलब है। जहां तक वध करने का सवाल है, किसी की जान न ली जाए।

वे लोग, जिनका हम वध नहीं करते, आखिर किस तरह के लोग हैं ? जिनका हम वध नहीं करते वे हू फङ, फान हान-न्येन, राओ शू-श जैसे लोग हैं या सम्राट फू ई और खाङ त्से जैसे बन्दी बनाए गए युद्ध-अपराधी हैं। हमने उनका वध नहीं किया, इसका कारण यह नहीं था कि वे अपने अपराधों के आधार

पर मृत्यु-दण्ड पाने लायक नहीं थे, बल्कि यह था कि उनका वध करने से कोई लाभ न होता। अगर ऐसे किसी एक अपराधी का वध कर दिया गया, तो उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा अपराधी निकल आएगा, जिसके अपराधों की तुलना पहले वाले के अपराधों से की जाने लगेगी और फिर अनेक मुण्ड जमीन पर लोटने लगेंगे। यह पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि अनेक लोगों का गलत तौर पर भी वध किया जा सकता है। इतिहास साक्षी है, किसी आदमी का सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद उसे फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, और न ही एक बार कट जाने के बाद वह चाइव के पौधे की भांति फिर से उग सकता है। अगर आप गलती से किसी का सिर काट बैठें, तो फिर चाहते हुए भी उस गलती को दुरुस्त करने का कोई रास्ता आपके पास नहीं रह जाता। तीसरी बात यह है कि ऐसा करके आप सबूत जुटाने का एक स्रोत ही नष्ट कर देते हैं। प्रतिक्रान्तिकारियों का दमन करने के लिए आपको सबूत की आवश्यकता है। एक प्रतिक्रान्तिकारी व्यक्ति अक्सर दूसरे प्रतिक्रान्तिकारी व्यक्ति के विरुद्ध एक जिन्दा सबूत की भूमिका अदा कर सकता है, और ऐसे केस भी हो सकते हैं जिनमें

आपको उसके साथ परामर्श करने की जरूरत महसूस हो। यदि आप उस व्यक्ति का सफाया कर चुके हैं, तो फिर बाद में आप सबूत भी हासिल नहीं कर सकेंगे। और यह स्थिति प्रतिक्रान्ति के लिए हितकारी होगी, न कि क्रान्ति के लिए। चौथी बात यह है कि इन प्रतिक्रान्तिकारियों के प्राण लेने से (1) न उत्पादन में कोई वृद्धि होगी, (2) न विज्ञान के क्षेत्र में देश का स्तर ऊंचा उठ सकेगा, (3) न चार प्रकार के हानिकारक जन्तुओं का सफाया करने में कोई मदद मिलेगी, (4) न राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सुदृढ़ बन जाएगी और (5) न ही थाइवान को वापस लेने में कोई मदद मिलेगी। इससे केवल बन्दियों को मार डालने की शोहरत ही आपके हाथ लगेगी और बन्दियों को मार डालने वाले लोगों को हमेशा बदनामी ही नसीब होती है। एक बात और भी है और वह यह कि पार्टी और सरकार के अंगों के भीतर मौजूद प्रतिक्रान्तिकारी लोग समाज में मौजूद प्रतिक्रान्तिकारियों से भिन्न हैं। समाज में मौजूद प्रतिक्रान्तिकारी लोग जन-समुदाय के ऊपर सवारी गांठते फिरते हैं, जबकि पार्टी और सरकार के अंगों में मौजूद प्रतिक्रान्तिकारी लोग जन-समुदाय से थोड़ा अलग-थलग रहने के कारण लोगों से आम तौर पर

दुश्मनी ठान लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रतिक्रान्तिकारी कम हैं जो खास तौर पर किसी एक व्यक्ति को अपना दुश्मन बना लें। अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्राण न लिये जाएं तो इसमें हर्ज ही क्या है ? जो लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक श्रम करने लायक हैं उनका श्रम के जरिए नव रूपान्तर किया जाना चाहिए और जो लोग इस लायक नहीं हैं उनके गुजारे की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। प्रतिक्रान्तिकारी बिलकुल निकम्मे होते हैं, वे हानिकारक जन्तुओं की भांति होते हैं, लेकिन एक बार कब्जे में आ जाने पर आप उन्हें जनता की सेवा के किसी न किसी काम में लगा सकते हैं।

लेकिन क्या कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जिसमें यह प्रावधान किया गया हो कि पार्टी और सरकार के अंगों में मौजूद किसी भी प्रतिक्रान्तिकारी व्यक्ति का वध नहीं किया जाएगा ? यह हमारी अन्दरूनी नीति है, जिसका सार्वजनिक रूप से ऐलान करना जरूरी नहीं; जरूरत इस बात की है कि हम इस नीति को यथासम्भव कार्यान्वित करने का प्रयास करें। मान लीजिए कोई आदमी इस इमारत पर एक बम फेंक देता है और यहां मौजूद सभी व्यक्ति या उनमें से आधे या एक-तिहाई व्यक्ति मारे जाते हैं, तो फिर ऐसी

स्थिति में आप क्या कहेंगे – उस आदमी का वध किया जाय अथवा नहीं ? निश्चय ही उसका वध किया जाना चाहिए।

पार्टी और सरकार के अंगों से प्रतिक्रान्तिकारियों का सफाया करते समय किसी भी व्यक्ति को जान से न मारने की नीति का पालन करने का यह मतलब नहीं है कि उनके साथ सख्ती से पेश आने की भी मनाही है। लेकिन इससे हमें ऐसी गलतियों की रोकथाम करने में मदद मिलती है जिन्हें बाद में सुधारा नहीं जा सकता, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे दुरुस्त करने का मौका मिल जाता है। इस तरह बहुत से लोग इतमीनान की सांस ले सकेंगे तथा पार्टी के भीतर कामरेडों के बीच अविश्वास की भावना नहीं पनप सकेगी। अगर प्रतिक्रान्तिकारियों का वध नहीं किया जाता तो उन्हें खाना तो खिलाना ही होगा। सभी प्रतिक्रान्तिकारियों को रोजी दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें अपना नव रूपान्तर करके नई जिन्दगी शुरू करने का मौका मिल सके। यह जनता के कार्य के हित में होगा और विदेशों में इसका अच्छा असर पड़ेगा।

प्रतिक्रान्तिकारियों के दमन के सिलसिले में हमें अब भी बड़ी मेहनत से काम करते रहना है। इस ओर

जरा भी ढिलाई न आने देना जरूरी है। भविष्य में, हमें न सिर्फ समाज में मौजूद प्रतिक्रान्तिकारियों का दमन करते रहना है बल्कि पार्टी व सरकार के अंगों, विद्यालयों और फौजी यूनिटों में छिपे तमाम प्रतिक्रान्तिकारियों को भी खोज निकालना जारी रखना है। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने और दुश्मन के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच लें। अगर दुश्मन को हमारी पांतों में और यहां तक कि हमारे नेतृत्वकारी अंगों में घुस आने का मौका दिया गया, तो इससे समाजवादी कार्य के लिए और सर्वहारा अधिनायकत्व के लिए कितना गम्भीर खतरा पैदा हो जाएगा, यह हमें भली भांति मालूम है।

9. सही और गलत के बीच के सम्बन्ध

चाहे पार्टी के भीतर हो या बाहर, सही और गलत के बीच एक स्पष्ट विभाजन-रेखा खींच लेनी जरूरी है। जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनसे कैसे निपटा जाए, यह एक महत्त्वपूर्ण सवाल है। उनके प्रति सही रवैया अपनाने का मतलब यह है कि "भावी गलतियों से बचने के लिए पिछली गलतियों से सबक सीखने

और मरीज को बचाने के लिए उसकी बीमारी का इलाज करने'' की नीति अपनाई जाय और उनको गलतियों को ठीक करने में उनकी मदद की जाय तथा उन्हें क्रान्ति में हिस्सा लेते रहने की इजाजत दी जाए। जिन दिनों हमारी पार्टी की बागडोर वाङ मिङ की अगुवाई में कठमुल्लावादियों के हाथ में थी, उन दिनों हमारी पार्टी ने इस सवाल के बारे में गलती की थी और स्तालिन की कार्यशैली के बुरे पहलू को अपना लिया था। वे लोग समाज के अन्दर मध्यवर्ती शक्तियों का बहिष्कार करते थे और पार्टी के भीतर लोगों को अपनी गलतियां सुधारने की इजाजत नहीं देते थे; वे इन दोनों ही प्रकार के लोगों को क्रान्ति से बहिष्कृत कर देते थे।

''आ क्यू की सच्ची कहानी'' एक श्रेष्ठ कहानी है। मैं उन साथियों से, जिन्होंने यह कहानी पहले कभी पढ़ रखी है, इसे फिर एक बार पढ़ लेने की सिफारिश करूंगा और उन साथियों से, जिन्होंने इसे पहले कभी नहीं पढ़ा, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहूंगा। इस कहानी में लू शुन ने मुख्य रूप से एक ऐसे किसान का चित्रण किया है जो पिछड़ा हुआ है तथा राजनीतिक रूप से जागृत नहीं है। उन्होंने ''क्रान्ति से बहिष्कृत'' नामक

एक समूचे अध्याय में इस बात का वर्णन किया है कि एक नकली विदेशी दरिन्दा कैसे आ क्यू को क्रान्ति की पांतों में शामिल होने से रोक देता है। दरअसल आ क्यू की समझ में क्रान्ति का केवल यही मतलब था कि कुछ अन्य लोगों की तरह वह भी अपने लिए चन्द वस्तुएं इकट्ठी कर ले। लेकिन नकली विदेशी दरिन्दा उसे इस तरह की क्रान्ति करने से भी वंचित कर देता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मायने में कुछ लोग बहुत कुछ उसी नकली विदेशी दरिन्दे की तरह के हैं। उन्होंने गलतियां करने और प्रतिक्रान्ति करने के बीच कोई फर्क न करते हुए ऐसे तमाम लोगों को क्रान्ति की पांतों से बहिष्कृत कर दिया जिन्होंने गलतियां की थीं, तथा वे इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने ऐसे अनेक लोगों को जान से मार डाला जो महज गलतियां करने के दोषी थे। हमें यह सबक अपने दिल में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए। पार्टी के बाहर के लोगों को क्रान्ति की पांतों से बहिष्कृत कर देना या पार्टी के भीतर गलतियां करने वाले कामरेडों को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका न देना, ये दोनों ही बातें बुरी हैं।

जिन कामरेडों ने गलतियां की हैं उनके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि हमें उनका पर्यवेक्षण

करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि वे अपनी गलतियां सुधार रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि केवल पर्यवेक्षण करते रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गलतियां सुधारने में हमें उनकी मदद भी करनी होगी। अर्थात पहली बात तो यह है कि हमें उनका पर्यवेक्षण करते रहना है और दूसरी बात यह है कि हमें उनकी मदद करते रहना है। हर व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है; जिन लोगों ने कोई गलती नहीं की है उन्हें भी मदद की जरूरत होती है और जिन लोगों ने गलती की है उन्हें तो मदद की और भी ज्यादा जरूरत होती है। सम्भवत: ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गलतियों से मुक्त हो, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ज्यादा गलती करता है तो कोई कम, और गलती करने के बाद सभी को मदद की जरूरत पड़ती है। महज पर्यवेक्षण करते रहने का मतलब है निष्क्रिय बने रहना; ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जरूरी है जो गलतियां करने वाले लोगों के लिए अपनी गलतियां सुधारने में मददगार साबित हो सकें। सही और गलत के बीच साफ तौर से विभाजन-रेखा खींचनी जरूरी है, क्योंकि उसूल के सवाल को लेकर पार्टी के भीतर चलने वाले वाद-विवाद वास्तव में समाज के अन्दर

चलने वाले वर्ग-संघर्ष को ही पार्टी के भीतर प्रतिबिम्बित करते हैं, और इस सम्बन्ध में किसी भी किस्म के अस्पष्ट रुख की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह एक स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को ध्यान में रखते हुए, उन कामरेडों की तथ्यों के आधार पर समुचित आलोचना की जाए जिन्होंने गलतियां की हैं, यहां तक कि उनके खिलाफ आवश्यक संघर्ष भी चलाया जाए; ऐसा करने का उद्देश्य गलतियों को सुधारने में मदद करना है। उनकी मदद करने के बजाय उनकी गलतियों पर बगलें बजाना संकीर्णतावाद का द्योतक है।

क्रान्ति के लिए यह हमेशा ही बेहतर होता है कि उसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग हों। उन चन्द लोगों को छोड़कर जो अपनी गलतियों से चिपके रहते हैं और बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद अपनी गलतियां नहीं सुधारते, गलतियां करने वालों में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ऐसे लोग जो पहले कभी टाइफायड से पीड़ित रह चुके हैं, बाद में इस बीमारी से प्रतिरक्षित हो जाते हैं; इसी प्रकार ऐसे लोग, जिन्होंने गलतियां की हैं, बाद में कम गलतियां करेंगे, बशर्ते कि वे अपनी गलतियों से

सबक सीखने में निपुण बन जाएं। दूसरी तरफ, ऐसे लोगों के मन में, जिन्होंने कभी गलतियां नहीं की हैं, अहंकार पैदा हो जाना एक आसान बात है, इसलिए उनके द्वारा गलतियां किए जाने की सम्भावना बढ़ जाती है। अतएव हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग गलतियां करने वालों के खिलाफ हद से ज्यादा संघर्ष करते हैं, अन्त में वे एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि वे खुद ही संघर्ष का निशाना बन जाते हैं। काओ काङ ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे दूसरों पर फेंकना चाहा, लेकिन अन्त में नतीजा केवल यही हुआ कि इस पत्थर ने खुद उसे ही धराशायी कर दिया। गलतियां करने वाले लोगों के साथ सद्भावनापूर्ण बरताव करने से लोगों का समर्थन प्राप्त होगा तथा लोगों में एकता कायम होगी। गलतियां करने वाले कामरेडों के प्रति सहायता का रुख अपनाया जाता है या शत्रुता का, यह इस बात को परखने की कसौटी है कि आपका इरादा सद्भावनापूर्ण है या दुर्भावनापूर्ण।

"भावी गलतियों से बचने के लिए पिछली गलतियों से सबक सीखने और मरीज को बचाने के लिए उसकी बीमारी का इलाज करने" की नीति एक ऐसी

नीति है जो समूची पार्टी को एकताबद्ध करती है। इस नीति पर डटे रहना हमारे लिए जरूरी है।

10. चीन और अन्य देशों के बीच के सम्बन्ध

हमने अन्य देशों से सीखने का नारा पेश किया है। मैं समझता हूं कि हमने ठीक किया है। आज कुछ देशों के नेतागण इस नारे को पेश करने में संकोच अनुभव करते हैं, यहां तक कि डर भी महसूस करते हैं। इस नारे को पेश करने के लिए थोड़े बहुत साहस की जरूरत है; दूसरे शब्दों में, ऐसे करने के लिए थोथे अहंकार का परित्याग करना होगा।

इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी खूबियां होती हैं। अगर ऐसा न होता, तो वह अपना अस्तित्व कैसे कायम रख सकता ? तरक्की कैसे कर सकता ? दूसरी तरफ, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी खामियां भी होती हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि समाजवाद एक बिलकुल मुकम्मिल चीज है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि है ही नहीं। लेकिन यह कैसे सच हो सकता है ? इस बात को मान लेना जरूरी है कि हर वस्तु के हमेशा दो पहलू होते

हैं, उसमें खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। हमारी पार्टी-शाखाओं के सचिवों, हमारी सेना के कम्पनी कमाण्डरों और प्लाटून लीडरों, इन सभी लोगों ने काम के अनुभवों का निचोड़ निकालते समय दोनों ही पहलुओं को, अर्थात खूबियों और खामियों को अपनी जेबी नोटबुक में लिख लेने के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। वे सब इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। तब फिर हम किसी एक ही पहलू का उल्लेख क्यों करें ? दो पहलुओं का अस्तित्व हमेशा ही कायम रहेगा, यहां तक कि अब से दस हजार साल बाद भी कायम रहेगा। प्रत्येक काल के, चाहे भविष्य हो या वर्तमान, दो पहलू होते हैं, तथा प्रत्येक व्यक्ति के भी दो पहलू होते हैं। संक्षेप में, हर वस्तु के हमेशा ही दो पहलू होते हैं, केवल एक नहीं। यह कहना कि केवल एक ही पहलू होता है, वास्तव में महज उसी एक पहलू के बारे में वाकिफ होना तथा दूसरे पहलू के बारे में नावाकिफ रहना है।

हमारी नीति सभी राष्ट्रों और सभी देशों की खूबियों से सीखने की नीति है, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में तथा कला-साहित्य

के क्षेत्र में जो चीजें सचमुच अच्छी हैं, उन सबको सीखने की नीति है। लेकिन यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि सीखते समय एक विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाय और अन्धानुकरण न किया जाय, तथा जांच-परख किए बिना हर चीज की नकल न की जाय और न ही यांत्रिक ढंग से हर वस्तु को अपनाया जाय। जाहिर है कि हमें उनकी कमजोरियों व खामियों को नहीं अपनाना है।

यही दृष्टिकोण हमें सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों के अनुभव से सीखते समय भी अपनाना चाहिए। पहले इस बारे में हमारे कुछ लोगों के दिमाग में सफाई नहीं थी तथा उन लोगों ने इन देशों की कमजोरियों को भी अपना लिया था। लेकिन जब वे लोग इन देशों से ली गई बातों को अपनाकर फूले नहीं समा रहे थे, तभी इन देशों में उन बातों का बाकायदा परित्याग किया जा रहा था; परिणामस्वरूप इन लोगों को कपिराज सुन ऊ-खुङ की भांति कलाबाजी खानी पड़ी। मिसाल के तौर पर, जब हमने चलचित्र मंत्रालय और संस्कृति ब्यूरो की स्थापना करने के बजाय, जैसा कि सोवियत संघ में किया गया था, संस्कृति मंत्रालय और चलचित्र ब्यूरो की स्थापना की, तो कुछ लोगों ने हमें उसूल

सम्बन्धी गलती करने का दोषी ठहराया। तब उन्हें इस बात का आभास भी नहीं था कि थोड़े ही समय बाद सोवियत संघ में स्थिति बदल जाएगी और हमारी ही तरह वहां पर भी संस्कृति मंत्रालय की स्थापना कर दी जाएगी। कुछ लोग विश्लेषण करने की जहमत कभी नहीं उठाते, महज "हवा" का रुख देखकर ही काम करते हैं। अगर आज उत्तरी हवा चल रही है तो वे "उत्तरी हवा" वाले बहाव के साथ हो जाते हैं, अगर कल पछवा हवा चलने लगे तो फिर वे "पछवा हवा" वाले बहाव के साथ हो जाएंगे; उसके बाद अगर उत्तरी हवा कहीं फिर से चलने लगे तो वे फिर से "उत्तरी हवा" वाले बहाव की ओर वापस लौट जाएंगे। इन लोगों की अपनी कोई स्वतंत्र राय कभी नहीं होती तथा वे अक्सर एक चरम सीमा से दूसरी चरम सीमा पर जा पहुंचते हैं।

सोवियत संघ में, जिन लोगों ने किसी समय स्तालिन की प्रशंसा के पुल बांध दिए थे उन्हीं लोगों ने आज स्तालिन को एक ही झपाटे में पापात्माओं के शुद्धगृह में पहुंचा दिया। हमारे यहां चीन में भी कुछ लोग उन्हीं के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। केन्द्रीय कमेटी की राय है कि स्तालिन की गलतियां महज 30

प्रतिशत हैं, जबकि उनकी उपलब्धियां 70 प्रतिशत हैं, तथा सभी बातों पर गौर करने के बाद स्तालिन को एक महान मार्क्सवादी ही कहा जाएगा। इसी मूल्यांकन के आधार पर हमने अपना लेख 'सर्वहारा अधिनायकत्व के ऐतिहासिक अनुभव के बारे में' लिखा था। 30 प्रतिशत गलतियां और 70 प्रतिशत उपलब्धियां मानने वाला यह मूल्यांकन आम तौर पर ठीक है। चीन के सन्दर्भ में स्तालिन ने कई गलतियां की थीं। दूसरे क्रान्तिकारी गृहयुद्ध काल के उत्तरार्ध में वाङ मिङ का "वामपंथी" दुस्साहसवाद और जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के प्रारम्भिक काल में उसका दक्षिणपंथी अवसरवाद, इन दोनों का ही स्रोत स्तालिन की गलतियों में पाया जा सकता है। मुक्ति-युद्ध के समय, स्तालिन ने यह मत व्यक्त करते हुए कि अगर कहीं गृहयुद्ध भड़क उठता तो चीनी राष्ट्र के सामने खुद अपने ही विनाश का खतरा पैदा हो जाएगा, पहले तो हमें क्रान्ति को आगे बढ़ाने से मना कर दिया, और बाद में जब लड़ाई सचमुच भड़क उठी तो उन्होंने हमारे प्रति एक ऐसा रुख अपनाया जिसमें आधा विश्वास था और आधा शक। जब हमने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली तो स्तालिन को यह शक होने लगा कि हमारी विजय भी

टीटो की तरह की ही विजय है, और 1949 व 1950 में हमारे ऊपर उनका दबाव सचमुच ही बहुत बड़ा था। इन सब बातों के बावजूद, हम उनकी गलतियां 30 प्रतिशत और उपलब्धियां 70 प्रतिशत मनाने के मूल्यांकन को ही सही समझते हैं। ऐसा करना ही उनके प्रति न्याय करना है।

सामाजिक-विज्ञान और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्षेत्र में जहां कहीं भी स्तालिन ने कोई सही बात कही हो, उसका हमें बड़ी लगन से अध्ययन करते रहना चाहिए। जो बातें सार्वभौमिक रूप से सत्य हैं, हमें उन सभी का अध्ययन करना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि यह अध्ययन चीन की वास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ हो। अगर हम प्रत्येक वाक्य का ज्यों का त्यों अनुसरण करने लग जाएं, चाहे वे वाक्य मार्क्स के ही कहे हुए क्यों न हों, तो फिर हर चीज गड़बड़-घोटाले में पड़ जाएगी। हमारा सिद्धान्त है मार्क्सवाद लेनिनवाद के सार्वभौमिक सत्य को चीनी क्रान्ति के ठोस व्यवहार के साथ मिलाना। एक समय था जबकि हमारी पार्टी के कुछ लोग कठमुल्लावाद की हिमायत करने लगे थे, और हमने इस बात की आलोचना की थी। फिर भी कठमुल्लावाद आज भी

हमारे बीच मौजूद है। विद्याध्ययन के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में यह आज भी मौजूद है।

प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में विदेशों से सीखने के लिए हमें विशेष रूप से प्रयास करना होगा। लेकिन, हमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनसे सीखना है, उनका अन्धानुकरण नहीं करना है। प्रौद्योगिक क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि हमें शुरू-शुरू में उनकी ज्यादातर बातों का अनुसरण करना होगा, और ऐसा करना हमारे लिए बेहतर भी है, क्योंकि हमारे पास प्रौद्योगिकी का अभाव है तथा उसके बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। लेकिन ऐसे मामलों के बारे में जिनकी हमें पूरी जानकारी है, विदेशों की हर छोटी-बड़ी बात का अनुसरण करना हमारे लिए जरूरी नहीं।

यह जरूरी है कि हम विदेशों की सभी सड़ी गली पूंजीवादी व्यवस्थाओं, विचारधाराओं और जीवन-पद्धतियों को दृढ़ता से ठुकरा दें और उनकी आलोचना करें। लेकिन पूंजीवादी देशों के समुन्नत विज्ञान व उनकी समुन्नत प्रौद्योगिकी को सीखने में तथा उनके कारोबारों की प्रबन्ध व्यवस्था में मौजूद सभी वैज्ञानिक बातों को सीखने में हमें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी

चाहिए। उद्योग की दृष्टि से विकसित देशों के कारोबारों में लोग कम हैं और उत्पादकता अधिक है, तथा वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि व्यापार कैसे किया जाता है। अपने उसूलों पर कायम रहते हुए, हमें इन सब बातों को अच्छी तरह सीख लेना चाहिए, ताकि हमारे कार्य में सुधार हो सके। आजकल जो लोग अध्ययन के विषय के रूप में अंग्रेजी को चुनते हैं, वे इसके अध्ययन में मेहनत नहीं करते, तथा विदेशों के साथ आदान प्रदान के लिए हमारे अनुसन्धान-निबन्धों का अब अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन या जापानी भाषा में अनुवाद भी नहीं होता। यह भी एक किस्म का विवेकशून्य पूर्वाग्रह है। हर विदेशी वस्तु को, चाहे वह विज्ञान व प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित हो या संस्कृति से, अन्धाधुन्ध तरीके से ठुकरा देना, अथवा हर विदेशी वस्तु का अन्धानुकरण करना, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है – ये दोनों ही रवैये मार्क्सवादी दृष्टिकोण के साथ तनिक भी मेल नहीं खाते, तथा हमारे कार्य के लिए किसी भी मायने में हितकर नहीं हैं।

मेरी राय में, चीन की दो खामियां हैं, तो साथ ही उसकी दो खूबियां भी हैं।

पहले, अतीत काल में चीन एक औपनिवेशिक व

अर्ध-औपनिवेशिक देश था, न कि एक साम्राज्यवादी शक्ति था, तथा दूसरे देश उस पर हमेशा सवारी गांठते रहते थे। उसका उद्योग व कृषि विकसित नहीं है तथा उसके विज्ञान व प्रौद्योगिकी का स्तर नीचा है; अपने विशाल इलाके, प्रचुर साधन-स्रोतों और बहुत बड़ी जनसंख्या, लम्बे इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में 'लाल भवन का सपना' जैसी रचनाओं को छोड़कर, चीन कई मायनों में अन्य देशों से पीछे है, और इसलिए अहंकार करने का उसके लिए कोई सबब नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बहुत लम्बे अरसे तक गुलाम रहने के कारण हर बात में अपने को हीन अनुभव करते हैं तथा विदेशियों के सम्मुख तनकर सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। वे हू-ब-हू 'फामन मन्दिर' ऑपेरा के च्या क्वेइ' नामक उस पात्र की तरह हैं जो बैठने के लिए कहे जाने पर भी ऐसा करने से इनकार कर देता है और यह बहाना बनाता है कि उसे तो सेवा सुश्रूषा के लिए खड़े रहने की आदत सी पड़ गई है। यहां पर जरूरत इस बात की है कि हम अपने आपको हरकत में लाएं, अपने राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बढ़ाएं तथा "अमरीकी साम्राज्यवाद को नाचीज समझने" की भावना को प्रोत्साहित करें, जिसे अमरीकी

आक्रमण का प्रतिरोध करने और कोरिया की सहायता करने के आन्दोलन के दौरान जागृत किया गया था।

दूसरे हमारे यहां क्रान्ति देर से हुई। हालांकि 1911 की क्रान्ति, जिसमें छिङ सम्राट का तख्ता पलट दिया गया था, रूसी क्रान्ति के पहले हुई थी, लेकिन उस समय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, इसलिए यह क्रान्ति असफल हो गई। जन-क्रान्ति की विजय अक्तूबर क्रान्ति के लगभग तीस साल बाद 1949 में हुई। इस लिहाज से भी हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि अपने बारे में किसी प्रकार का अहंकार करें। सोवियत संघ की स्थिति हमारे देश की स्थिति से भिन्न है। पहले, जारशाही रूस एक साम्राज्यवादी शक्ति था और दूसरे, वहां पर अक्तूबर क्रान्ति हुई थी। नतीजे के तौर पर, सोवियत संघ में बहुत से लोग अहंकारी बन गए हैं और बहुत अधिक शेखी बघारने लगे हैं।

हमारी उक्त दो खामियां हमारी दो खूबियां भी हैं। जैसा कि मैंने अन्यत्र कहा है, पहली बात तो यह कि हम ''गरीब'' हैं और दूसरी बात यह कि हम ''कोरे'' हैं। ''गरीब'' होने से मेरा मतलब यह है कि हमारे पास उद्योग ज्यादा नहीं हैं तथा हमारी कृषि भी विकसित नहीं है। ''कोरे'' होने से मेरा मतलब यह है कि हम

कागज के एक कोरे पृष्ठ की तरह हैं तथा हमारा सांस्कृतिक व वैज्ञानिक स्तर ऊंचा नहीं है। विकास की दृष्टि से यह कोई बुरी बात नहीं है। गरीब लोग ही तो क्रान्ति करना चाहते हैं, जबकि अमीरों में क्रान्ति की इच्छा होना एक मुश्किल बात है। जिन देशों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा होता है उनमें हेकड़ी कूट-कूट कर भरी होती है। हम लोग एक कोरे कागज की तरह हैं, जिस पर सुन्दर लिखाई की जा सकती है।

इसलिए ''गरीब'' और ''कोरा'' होना सब हमारे भले की बात है। भविष्य में जब एक दिन हमारा देश शक्तिशाली और समृद्ध बन जाएगा, तब भी हमारे लिए यह जरूरी होगा कि हम अपने क्रान्तिकारी रुख पर कायम रहें, विनम्र और विवेकशील बने रहें, दूसरे देशों से सीखते रहें और अहंकार से चूर होकर इतराने न लगें। यह जरूरी है कि हम न केवल अपनी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान दूसरे देशों से सीखते रहें बल्कि दसियों पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद भी सीखने का यह सिलसिला जारी रखें। अब से दस हजार साल बाद भी हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा करने में क्या कोई बुराई है ?

मैंने कुल मिलाकर दस मसलों को लिया है। ये

सभी दस सम्बन्ध दस अन्तरविरोध हैं। दुनिया में अन्तरविरोध ही अन्तरविरोध हैं। अन्तरविरोधों के बिना विश्व का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमारा कार्य इन अन्तरविरोधों को सही ढंग से हल करना है। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि व्यवहार में इन अन्तरविरोधों को सन्तोषजनक रूप से हल किया जा सकता है अथवा नहीं, इसके बारे में हमें दोनों ही सम्भावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए; यही नहीं, इन अन्तरविरोधों को हल करने के दौरान हमारे सामने नए अन्तरविरोधों, नई समस्याओं का पैदा होना भी लाजिमी है। लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते रहे हैं, आगे का रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा जरूर है लेकिन भविष्य हमारा उज्ज्वल है। यह जरूरी है कि हम पार्टी के भीतर और बाहर, देश में और विदेशों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के सकारात्मक तत्वों को गोलबन्द करने का भरसक प्रयास करें और चीन को एक शक्तिशाली समाजवादी देश बना दें।

नोट

[1] अनाज के उत्पादन और खरीद फरोख्त का कोटा निश्चित करने की व्यवस्था 1955 के वसन्त में लागू की गई थी। उस वर्ष अनाज-उत्पादन के लिए निश्चित किया गया कोटा सामान्य वर्षों के प्रति मू अनाज उत्पादन पर आधारित था तथा उत्पादन बढ़ने पर भी तीन वर्ष तक अतिरिक्त अनाज राज्य को न बेचने की व्यवस्था की गई थी। खरीद का कोटा निश्चित करने का मतलब है राज्य द्वारा अतिरिक्त अनाज वाले किसान परिवारों से उनके अतिरिक्त अनाज को एक निश्चित अनुपात में खरीदना। बिक्री का कोटा निश्चित करने का मतलब है राज्य द्वारा अनाज की कमी वाले किसान परिवारों के लिए अनाज-सप्लाई का कोटा निश्चित करना। यह व्यवस्था उत्पादन वृद्धि के हेतु किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए की गई थी।

[2] अनिवार्य बिक्री की व्यवस्था 1933 से 1957 तक सोवियत संघ में राज्य द्वारा कृषि उपज खरीदने के लिए अपनाई जाने वाली एक मुख्य व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत सामूहिक फार्मों और व्यक्तिगत किसान परिवारों को हर साल राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य पर और मात्रा में कृषि उपज राज्य को सप्लाई करनी पड़ती थी।

[3] "फामन मन्दिर" नामक पेकिङ ऑपेरा का एक पात्र च्या कवेइ, जो मिङ वंश के ख्वाजा ल्यू चिन का एक विश्वासपात्र दास था।